

सर्वोच्च न्यायालय द्वारा राज्यों को औद्योगिक अल्कोहल को वनियमिति करने की अनुमति देना

प्रलम्ब के लिये:

[सर्वोच्च न्यायालय](#), [महत्त्वपूर्ण नरिणय](#), [संवैधानिक पीठ](#), [केंद्र-राज्य संबंध](#), [औद्योगिक अल्कोहल](#), [7वीं अनुसूची](#), [उत्पाद शुल्क](#), [वस्तु और सेवा कर \(GST\)](#)

मेन्स के लिये:

भारत में संघवाद, सर्वोच्च न्यायालय के महत्त्वपूर्ण नरिणय, सहकारी संघवाद, संघवाद के लिये चुनौतियाँ, केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय संबंध।

[स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस](#)

चर्चा में क्यों?

हाल ही में, [सर्वोच्च न्यायालय](#) की नौ न्यायाधीशों की [संवैधानिक पीठ](#) ने 8:1 के बहुमत से फैसला सुनाया कि राज्यों को [औद्योगिक अल्कोहल](#) को वनियमिति करने का अधिकार है, इस फैसले में वर्ष 1990 के फैसले [\[1990\] 2 SCR 618](#) (1990) को खारजि कर दिया गया, जिसमें केंद्र सरकार के नरिणय का समर्थन किया गया था।

सर्वोच्च न्यायालय की संवैधानिक पीठ क्या है?

परिचय:

- सर्वोच्च न्यायालय में संवैधानिक पीठ में पाँच या उससे अधिक न्यायाधीश होते हैं, जिनमें केवल वशिष्ट कानूनी मामलों के लिये ही आमंत्रित किया जाता है। ये पीठें कोई नरिणय प्रक्रिया नहीं हैं।

गठन के लिये परिस्थितियाँ:

- अनुच्छेद 145(3): अनुच्छेद 143** के तहत महत्त्वपूर्ण संवैधानिक प्रश्नों या संदर्भों से जुड़े मामलों पर नरिणय लेने के लिये आवश्यक न्यायाधीशों की न्यूनतम संख्या पाँच है।
- विविध नरिणय:** जब विभिन्न तीन न्यायाधीशों की पीठों से परस्पर विविध नरिणय सामने आते हैं, तो मुद्दे को हल करने के लिये एक विशेष संवैधानिक पीठ का गठन किया जाता है।

औद्योगिक अल्कोहल:

- औद्योगिक अल्कोहल मूलतः:** अशुद्ध अल्कोहल है जिसका उपयोग औद्योगिक विलायक के रूप में किया जाता है।
- इथेनॉल में बेंज़ीन, पेरिडिन, गैसोलीन आदि जैसे रसायनों को मिलाकर (इस प्रक्रिया को **विकृतीकरण कहा जाता है**) यह औद्योगिक अल्कोहल में बदल जाता है, जिससे इसकी कीमत काफी कम हो जाती है जो यह मानव उपभोग के लिये अनुपयुक्त हो जाता है।
- अनुप्रयोग:** फार्मास्यूटिकल्स, इत्र, सौंदर्य प्रसाधन और सफाई संबंधी तरल पदार्थों में उपयोग किया जाता है।
 - कभी-कभी इसका उपयोग अवैध शराब, सस्ते और खतरनाक नशीले पदार्थ के निर्माण में भी किया जाता है, जिनके सेवन से अंधापन और मृत्यु सहित गंभीर खतरे उत्पन्न होते हैं।

औद्योगिक अल्कोहल पर सर्वोच्च न्यायालय पीठ ने क्या फैसला दिया है?

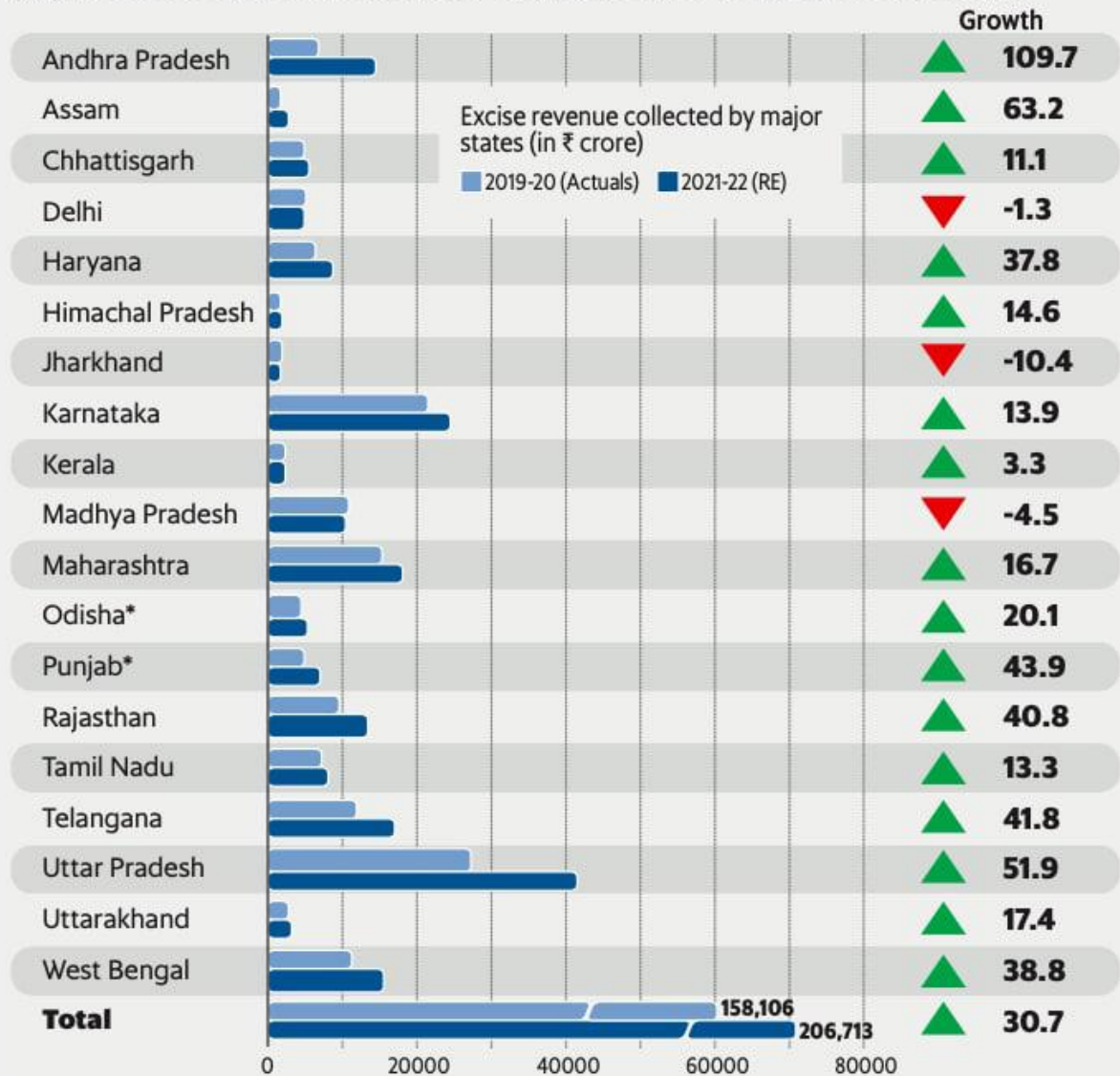
- **परभाषा का वसितार:** बहुमत वाली पीठ ने [?] में वर्ष 1990 के फैसले को पलट दिया है, जिसमें "मादक शराब" की परभाषा को पीने योग्य शराब तक सीमिति कर दिया गया था तथा राज्यों को औद्योगिकी शराब पर कर लगाने से रोक दिया गया था ।
- **बहुमत की राय:** खंडपीठ ने स्पष्ट किया कि "**नशीली शराब**" में सरिफ मादक पेय या पीने योग्य शराब ही शामिल नहीं हैं। सभी प्रकार की शराब जो सार्वजनिक स्वास्थ पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकती है, इस परभाषा के अंतर्गत आती है।
 - न्यायालय ने इस बात पर ज़ोर दिया कि **शराब, अफीम और नशीली दवाओं जैसे पदार्थों का दुरुपयोग किया जा सकता है तथा फैसला सुनाया कि संसद मादक शराबों पर राज्य की शक्तियों को खतम नहीं कर सकती है,** और कहा कि "नशीली" का अर्थ "जहरीला" भी हो सकता है, जिससे व्यापक वर्गीकरण की अनुमति मिलती है ।
- **असहमत पूर्ण राय:** न्यायमूर्ति बी.वी. नागरत्ना ने औद्योगिक अल्कोहल के वनिियमन के संबंध में बहुमत के फैसले से असहमत व्यक्ती की और तर्क दिया कि केवल इसलिये कि "**औद्योगिकी अल्कोहल**" का संभावति दुरूपयोग हो सकता है, **प्रवर्षिट 8 - सूची II** को ऐसे "औद्योगिकी अल्कोहल" को शामिल करने के लये नहीं बढ़ाया जा सकता है ।
 - राज्यों को औद्योगिकी अल्कोहल को वनिियमित करने की अनुमति देने से अल्कोहल वनिियमन के पीछे वधायी मंशा की गलत व्याख्या हो सकती है ।

- **केंद्र सरकार का तर्क:**
 - औद्योगिक अलकोहल को संघ सूची की **प्रवर्षिट 52** के अंतर्गत "उद्योग" के रूप में वर्गीकृत किया गया है, जिससे केंद्र को सार्वजनिक हित में समझे जाने वाले उद्योगों को वनियमित करने की अनुमति मिल गई है।
 - इसमें कहा गया है कि औद्योगिक शराब का व्यापार, वाणिज्य, आपूर्त और वितरण समवर्ती सूची की **प्रवर्षिट 33(A)** के अंतर्गत आते हैं, जो **केंद्रीय नगरानी की अनुमति देता है।**
 - केंद्र का कहना है कि **औद्योगिक शराब** उद्योग (विकास और वनियमन) अधिनियम, 1961 के अधिकार क्षेत्र में आती है, तथा दावा किया कि यह वनियमन के लिये "क्षेत्र पर कब्जा कर लेती है"। इसलिये, राज्य इस विषय पर अपने नियमन लागू नहीं कर सकते।
 - केंद्र का तर्क है कि औद्योगिक अलकोहल ने वनियमन के "क्षेत्र पर अधिकार कर लिया है" जो उद्योग (विकास और वनियमन) अधिनियम, 1961 के अधीन है। इसलिये राज्य इस विषय पर अपने कानूनों को लागू करने में असमर्थ हैं।
- **राज्यों का तर्क:**
 - **राज्य सूची की प्रवर्षिट 8** के अंतर्गत वनियमन के लिये तर्क देने के साथ मदरा पर कर लगाने के अधिकार पर बल दिया गया, जिसमें औद्योगिक मदरा भी शामिल है।
 - राज्यों द्वारा अवैध उपभोग से निपटने और राजस्व उत्पन्न करने के लिये प्राधिकार बनाए रखने की आवश्यकता (विशेष रूप से GST के कार्यान्वयन के बाद) है।

- **राजस्व सृजन:** शराब पर कर लगाना राज्यों के लिये राजस्व का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। उदाहरण के लिये वर्ष 2023 में कर्नाटक ने भारत निर्मित शराब (IML) पर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (AED) 20% तक बढ़ा दिया।
- **वित्तीय निर्भरता:** महाराष्ट्र और केरल जैसे राज्य अपने राजस्व का एक प्रमुख हिस्सा शराब करों से प्राप्त करते हैं, जो उनके कुल उत्पाद शुल्क राजस्व का लगभग 30-40% है।
- **लोक सेवाओं का वित्तपोषण:** शराब पर कर का उपयोग स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा सहित आवश्यक लोक सेवाओं के वित्तपोषण के लिये किया जाता है।

THE GOLDEN GOOSE

Major states collected more than ₹2 trillion under state excise in 2021-22.



*BE figure for 21-22 used as RE figure was not available

Source: RBI, PRS

उद्योग (विकास और वनियमन) अधिनियम, 1951

- उद्योग (विकास और वनियमन) अधिनियम, 1951 भारत में औद्योगिक विकास और वनियमन के लिये वधिक और वैचारिक ढाँचा प्रदान करता है।
- इस अधिनियम के मुख्य उद्देश्य:
 - देश में उद्योगों के विकास को नयित्तरति और नरिदेशति करना,
 - नषिपक्ष संसाधन वतिरण को बढावा देना,
 - आर्थिक शक्तिसंकेन्द्रण से बचना,
 - संतुलित एवं नयित्तरति औद्योगिक वसितार को महत्त्व देना।
- यह अधिनियम केन्द्र सरकार को नमिनलखिति शक्तियाँ प्रदान करता है:
 - कुछ उद्योगों के उत्पादन, आपूर्ति और वतिरण को वनियमित करना
 - नये उद्योगों की स्थापना पर प्रतर्बिध लगाना
 - उद्योगों को संचालन हेतु लाइसेंस प्रदान करना
 - आम लोगों के सर्वोत्तम हति में उद्योग नरिमाण और संचालन

